# न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी भागीरथ राम, आर0ए0एस0

**प्रार्थीगण**

1.मंछाराम पुत्र भूराजी
जाति भील निवासी रोवाडा

बनाम

**अप्रार्थीगण**

1. मांगूसिह पुत्र छोगसिह
2. छैलसिह पुत्र प्रेमसिह
3. भूरसिह पुत्र प्रेमसिह
4. परबतसिह पुत्र प्रेमसिह
5. देसुकंवर पुत्री प्रेमसिह
6. रसालकंवर पुत्री प्रेमसिह जातियान राजपूत निवासीगण रोवाडा(शिवगंज)
7. तहसीलदार शिवगंज

### राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मु.स0 24/2020
दिनांक 07.01–2021

## आदेश

उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की कृषि आराजी सरहद मौजा रोवाडा तहसील शिवगंज में खसरा नम्बर 34 लगाय 41 किता 8 कुल रकबा 32–19 बीघा स्थित है। उक्त कृषि आराजी मुझ प्रार्थी की है तथा काश्तकर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ मुझे मेरी कृषि भूमि मे आने जाने तथा मवेशी,टैक्टर,बैलगाडी आदि ले जाने के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत नजरी नक्शा ट्रेस मौजा रोवाडा के खसरा नम्बर 26 मे लाल स्याही से अकिंत **ए** से **बी** व **सी** मे स्थित रास्ते से आते जाते थे जो वर्तमान मे अप्रार्थीगण मागूसिह के हिस्से मे आने से रास्ता को बन्द करने की धमकी देता है जबकि उक्त भूमि मे आने जाने का रास्ता पूर्व से विधमान था जो प्रार्थी को अपने खेत व बोरवेल आदि मे आने जाने हेतु उपयोग मे आता रहा है लेकिन मागूसिह ने बदनियती पूर्वक रास्ता को बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी को खेती कार्य हेतु जाना मुश्किल हो गया है व खेती कर नही पा रहा हूँ। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि मौजा रोवाडा के उक्त खसरा नम्बर भूमि मे जाने हेतु अप्रार्थीगण 1 से 6 के खसरा नम्बर 26 मे से नजरी नक्शा मे लाल स्याही से अकित अनुसार बिन्दु **ए** से **बी** व **सी मे** स्थित 15 फीट चौडे रास्ते को नियमानुसार तरमीम कर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करने के आदेश प्रदान करावे मै प्रार्थी नियमानुसार राशि को जमा कराने को तैयार हूँ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.9.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण एक लगाय 6 व स्टेट को नोटिस एंव तहसीलदार शिवगंज को राजस्थान अभिघृति अधि. 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत पंत्राक 448 दिनाक 10.9.2020 जारी किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तामील होकर प्राप्त लेकिन प्रार्थीगण अनुपस्थित ना ही इनकी और से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए।

दिनाक 7.1.2021 को तहसीलदार [illegible] को जरिये नोटिस सूचित कर मौका जॉच रिपोर्ट मय मौका फर्द एंव नजरी नक[illegible]प्रार्थी के खसरा नम्बर 34 से 41 मे प्रवेश करने के लिये प्रस्तावित म[illegible] अब अप्रार्थीगण की सुविधा से हरे रग से दर्शाये [illegible] है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी है प्रस्तावित रास्ता 20 फीट [illegible] 410 [illegible] लम्बा है जिसका क्षैत्रफल [illegible] वर्ग फीट या 762 वर्ग मीटर बनता है तथा यह मार्ग निकटव[illegible] सरकारी रास्ता खसरा न[illegible]/1 से जुडता है तथा लघुतम दुरी पर है प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी दर 162405/–रू प्रति हैक्टर है जिसके अनुसार कुल किमत रूप्ये 12375/–बनती है प्रस्तावित रास्ता को अप्रार्थीगण की सहमति से किया गया है इस लिये प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है। **शेष पेज सं–2**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:05 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थी अधिवक्ता को भी तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश मौका जॉच रिपोर्ट एव मौका फर्द तथा नजरी नक्शा का अवलोकन करवाया गया जिस पर सहमति जाहिर की गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता दिये जाने की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है

मौजा रोवाडा पटवार हल्का रोवाडा तहसील शिवगंज में स्थित प्रार्थी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 34.,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 मे जाने हेतु सलग्न नक्शा मे चिन्हित हरी स्याही से दर्शित डाटेट **ए से बी** अनुसार चौडाई 20 फीट एंव 410 फीट लम्बाई मे कुल क्षेत्रफल 8200 वर्गफीट यानि 762 वर्गमीटर रास्ता भूमि का मौके पर पैमाईश करवा कर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 26 के रकबा मे से रास्ता भूमि को कम कर गैर मुमकिन बिलानाम रास्ता भूमि हेतु स्वीकृत की जाती है। उक्त स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिये जाते है:–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1)के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले में ,राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 की उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरो का दुगुना : गणना राशि निम्नानुसार है।

प्रस्तावित रास्ता भूमि की D.L.C-दर रू. 162405/–प्रति हैक्टर से 16.2405 प्रति वर्गमीटर

भूमि का क्षैत्रफल 762व0मी **x** 16.729 =रू 12375/– जिसकी दुगना राशि = 24750/–रूपये (रू चौबीस हजार सात सौ पचास मात्र ) जो प्रार्थी से वसूली योग्य है।

अतः अप्रार्थीगण की मौजा रोवाडा की आराजी खसरा नम्बर 26 के रकबा में से मार्फत तहसीलदार शिवगंज सलग्न नक्शा मे प्रदर्शित बिन्दु ए से बी तक रास्ता भूमि की अवधारित राशि रूपये 24750/– प्राथी से वसूली जाकर अप्रार्थीगण को भुगतान करे। तहसीलदार शिवगंज को अप्रार्थीगण की खातेदारी मे से रास्ता भूमि का रकबा को कम कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नजरी नक्शा में किस्म गैर मुमकिन रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

15 मार्च/ फेब/2021/8

प्रतिलिपिःपालनार्थः–
1. तहसीलदार शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:05 IST
Reason: SelfAttested

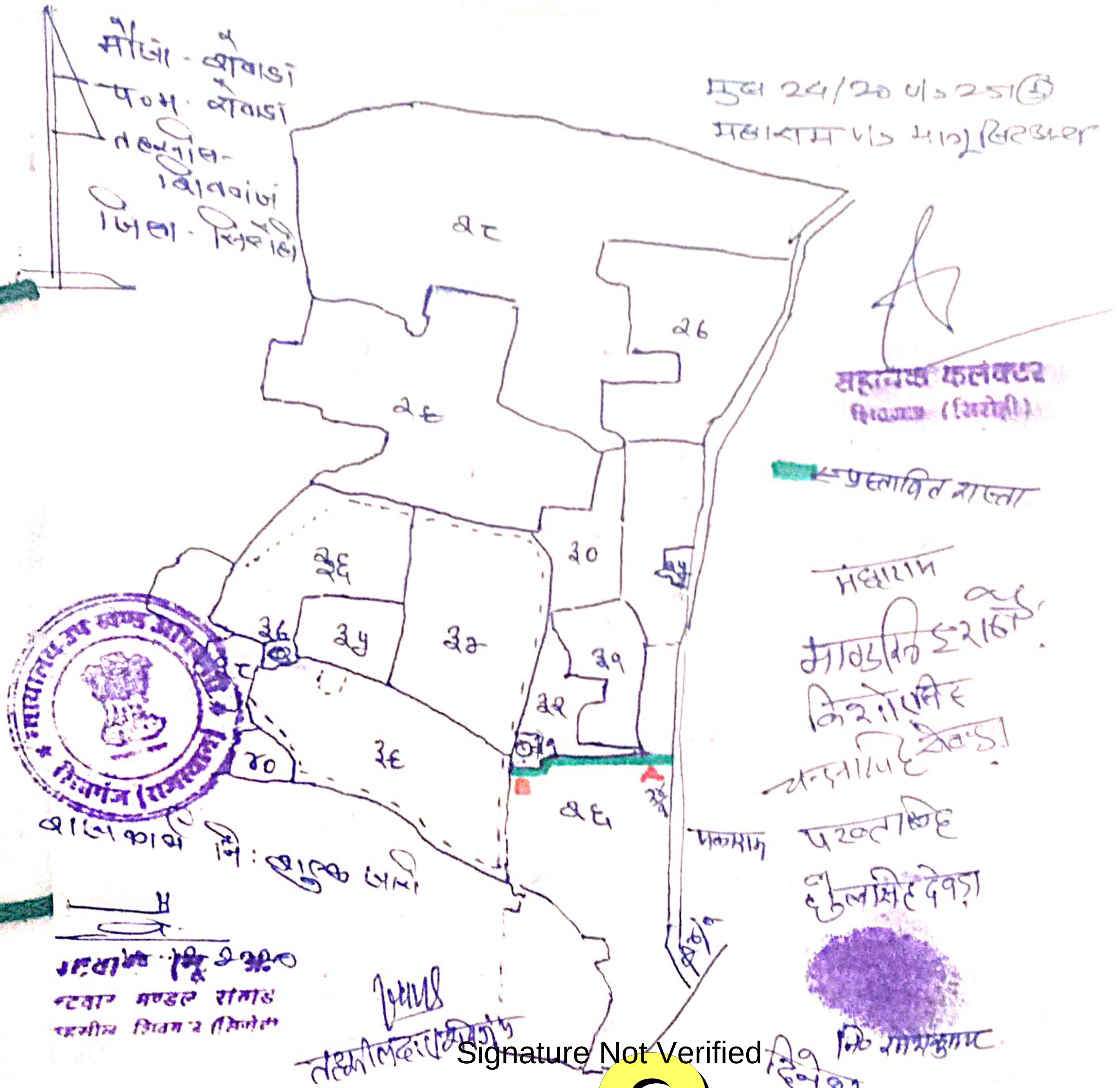


Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.02.18 15:46:05 IST
Reason: SelfAttested